राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3820/2024

टीकाराम —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रांरभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (पी.ई.) राजस्थान, बीकानेर।
4. मुख्य अधीक्षक अधिकारी, जिला परिषद, डीग।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, डीग।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.12.2024
आदेश की दिनांक : 17.12.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री इलिआस खान, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा डीग द्वारा जारी दिनांक 06.12.2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 विषय सामाजिक विज्ञान है, को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जोतरूहल्ला, पहाड़ी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैंसेड़ा, पहाड़ी में (अधिशेष घोषित करने के बाद) समाहित/पदस्थापित किया गया है। (अनुलग्नक–1) दिनांक 06.12.2024 को आरोपित आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2024 को जारी निर्देश के मद्देनजर जारी किया गया है। (अनुलग्नक–2) किसी भी कर्मचारी के आमेलन/पदस्थापन से पूर्व काउंसलिंग आयोजित करना आवश्यक है, ताकि अभ्यर्थियों को रिक्त पद की स्थिति का पता चल सके, वे अपना विकल्प भर सकें, ताकि विसंगतियों की संभावना न रहे, लेकिन मामले में प्रत्यर्थी विभाग ने कोई काउंसलिंग आयोजित नहीं की, इसलिए यह आदेश पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है दिनांक 06.12.2024 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

भैंसेड़ा, पहाड़ी में समायोजित/पदस्थापित करने का आदेश दिया गया है जो कि हिंदी माध्यम का विद्यालय है जबकि अपीलार्थी का पूर्व पदस्थापन स्थान अर्थात महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जोतरूहल्ला, पहाड़ी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। अपीलार्थी का चयन और पदस्थापन विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में किया गया था, इसलिए अपीलार्थी को हिंदी माध्यम के स्कूल में समायोजित/पदस्थापित करना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/निर्देशों की शर्त संख्या 10 के पूर्णतः विपरीत है। शर्त संख्या 10 का सुसंगत भाग निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:–

''10. अंग्रेजी माध्यम विधालयो हेतु चयनित शिक्षको/कार्मिको के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विधालयो में प्राथमिकता से लगाया जावे ।''

दिशा–निर्देश दिनांक 14.11.2024 में निहित अनुदेशों के अनुसार अधिशेष शिक्षकों का आमेलन शर्त संख्या 15 के अनुसार किया जाएगा। दिशा–निर्देश दिनांक 14.11.2024 के बिन्दु संख्या 15 को निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है:–

''15. अधिशेष शिक्षकोध्कार्मिको का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जावे :–

i. उसी विधालय में पद रिक्त होने पर

ii. उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर

iii. उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विधालय में पद रिक्त होने पर

iv. ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ब्लाक में स्थित अन्य विधालय में रिक्त पद पर

v. सम्बंधित ब्लाक में पद रिक्त नहीं होने पर, अन्य ब्लाक के विधालय में रिक्त पद पर ।

यथा संभव निकट के ब्लाक के विधालय में।''

अपीलार्थी से कनिष्ठ अभ्यर्थी को निकट में ही समायोजित/पदस्थापित कर दिया गया है तथा अपीलार्थी को दूर स्थान पर भेज दिया गया है। अपीलार्थी की माता वृद्धावस्था में है तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है। पूर्व में दिनांक 05.06.2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी का सेटअप परिवर्तित कर दिया गया था तथा उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरौली वैर भरतपुर से अध्यापक ग्रेड ।।। लेवल । के पद पर राजकीय विद्यालय जोतरूहल्ला पहाड़ी में पदस्थापित करने का आदेश दिया गया था, जबकि वह अध्यापक ग्रेड ।।। लेवल ।। सामाजिक विज्ञान/संस्कृत है, जिसके विरूद्ध उसने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 30.03.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। (अनुलग्नक–3) दिनांक 06.12.2024 का विवादित आदेश तबादलों/पदस्थापन पर प्रतिबंध के दौरान पारित किया

गया है, इसलिए यह अवैध है और नियमों का उल्लंघन करता है। कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार ने समय–समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान स्थानांतरण/एपीओ केवल आपातकालीन स्थिति में और माननीय मुख्यमंत्री की पूर्व स्वीकृति के साथ ही किए जाएं। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश के अनुसार उसकी नियुक्ति प्राधिकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन वर्तमान मामले में आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी किया गया है, जो इसे पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं। पंचायती राज विभाग के शिक्षकों को शिक्षा विभाग में लेने की उपरोक्त प्रक्रिया राजस्थान शिक्षा सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम 2021 के नियम 6 (3) के अनुसार की जाती है। अधीनस्थ सेवाओं के लिए नियम 2021 के नियम 2 (ए) के अनुसार अधीनस्थ सेवाओं के लिए नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या निदेशक प्रारंभिक शिक्षा है, लेकिन मामले में उक्त आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा डीग द्वारा पारित किया गया है और सरकार की कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई है। कि कोई भी सशक्तीकरण/प्राधिकरण अधीनस्थ अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई छूट आदेश में प्रतिबिम्बित होनी चाहिए, किन्तु वह आदेश में अनुपस्थित है। जिला वैर के सृजन के समय अपीलार्थी से विकल्प मांगा गया था कि वे किस जिले में पदस्थापित रहना चाहते हैं, जिसके अनुसरण में अपीलार्थी ने भरतपुर का विकल्प प्रस्तुत किया, लेकिन आक्षेपित आदेश डीईओ माध्यमिक शिक्षा डीग द्वारा जारी किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश क्रमांक जिशिअ/मुमा/डीग/संस्थापन/फा–अधिशेष समा/2024/1870 दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) का अपास्त फरमाया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार

व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य